

169



CF 10/-

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर १ मो प्रो १

R-3654-11/12

नथन सिंह वल्द घमन सिंह

निवासी ग्राम मुड़िया कलरई, तहसील सागर जिला सागर, म.प्र.

= = आवेदक

॥ बनाम ॥

शीलचंद वल्द नाथराम जैन

निवासी ग्राम मुड़िया कलरई, तहसील व जिला सागर, म.प्र.

= = अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 :-

प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त नरयावली के राजस्व प्र. क्रं. 42 ए/12 -11-12 में पारित आदेश दिनांक 16/06/12 से परिवेदित होकर श्रीमान न्यायालय के सम्म प्रस्तुत की जा रही है ।

अम सुनी
नर सुनी
सुनी 4/5/12
जसदी 4/5/12

BSN
4 OCT 2012

पारित
द्वारा प्रस्तुत
श्रीमान

9

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 3654-दो/2012

जिला- सागर

नथन सिंह विरुद्ध शीलचंद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त नरयावली के राजस्व जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक 42 ए/12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2- पक्षकार दिनांक 05-11-19 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p> <p>(जे0 के0 जैन) सदस्य</p>	